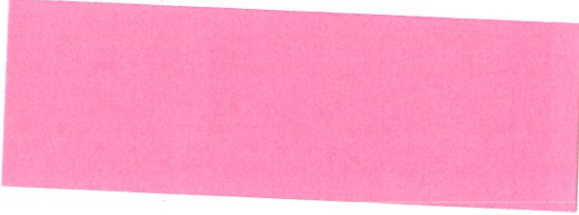


केंद्रीय सूचना आयोग
२, तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- ११००६६

No.3/2/2017/Admin./CIC/00846

Dated: 28.07.2017



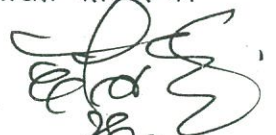
विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 10.7.2017 का आवेदन इस अनुभाग में 13.07.2017 को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रकित हैं:-

3	इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No.3/2/2017/Admin./CIC/00846 दिनांक 18.7.2017 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके द्वारा संलग्न है।
---	---

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।


(सुशील कुमार)

उप सचिव (प्रशासन) एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: १. जन सूचना अधिकारी, RTI CELL

Am
11/08/17



केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066

संचिका सं. CICOM/R/2017/00846/सं.स.(प्र0)

दिनांक. 27.07.2017

सेवा में,

श्री सुशील कुमार,
उप-सचिव (प्र0) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के तहत श्री गमदुर सिंह के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री गमदुर सिंह के दिनांक 10.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 3	जो सूचना मांगी गई है वह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (जे) के अंतर्गत आता है इसलिए सूचना मना की जाती है ।
-------------	--

का. टी. भू. बेक
(एस.पी.बेक) 27-07-17

संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
नोडल अधिकारी, आर.टी.आई.

9